कार्यालय ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर।

पत्रांक संख्याः–45 /अह0फौज0/2023

दिनांकः–28 दिसम्बर, 2023

आदेश

तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 0412.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शिव सेवक शुक्ला पुत्र स्व0 राम आधार शुक्ला हाल निवासी 128/15–बी, के ब्लाक किदवई नगर, कानपुर नगर द्वारा संज्ञान मे लाया गया है कि मेरे सगे भाई गिरजा शंकर शुक्ला पुत्र स्व0 राम आधार शुक्ला की मृत्यु दिनांक 15.06.2021 को व गिरजा शंकर शुक्ला की पत्नी श्रीमती अरूणा शुक्ला के एक मात्र सन्तान विवाहित/तलाकशुदा पुत्र राहुल शुक्ला की मृत्यु दिनांक 25.08.2023 को हो चुकी है। गिरजा शंकर शुक्ला व श्रीमती अरूणा शुक्ला के कोई पुत्री नही थी, जिसके चलते इन्होंने अपने साले श्री सुशील शुक्ला की पुत्री सविता शुक्ला को लगभग 15 वर्ष की आयु से अपने पास रख लिया व उसकी परवरिश करते रहे। सविता शुक्ला की शुरूआती शिक्षा भी गिरजा शंकर शुक्ला व श्रीमती अरूणा शुक्ला के पास/साथ रह कर हुयी, किन्तु गिरजा शंकर शुक्ला व उनकी पत्नी श्रीमती अरूणा शुक्ला न कभी भी सविता शुक्ला पुत्री सुशील शुक्ला को गोद नही लिया अर्थात दत्तक पुत्री नही ग्रहण किया।

उक्त सविता शुक्ला विवाहोपरान्त सविता त्रिपाठी द्वारा दिनांक 30.09.2023 को मृतक गिरजा शंकर शुक्ला पुत्र राम आधार शुक्ला के पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के बावत आनलाइन आवेदन संख्या 2023093005914017 किया गया, जिसमे उपरोक्त सभी तथ्यो को छिपाकर, प्रार्थना पत्र, झूठा शपथ पत्र संलग्न किया गया व दौरान जांच सही तथ्यो को छिपाकर बयान किया गया व बतौर साक्ष्य नोटरी से सत्यापित कक्षा–8 की अंकतालिका जिसमे सविता शुक्ला के पिता का नाम गिरजा शंकर दर्ज है, प्रस्तुत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या 2023093005914017 जारी दिनांक 02.11.2023 प्राप्त किया गया। पुनः जांच मे श्री शिव सेवक शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों व अन्य साक्ष्यों मे सविता शुक्ला के पिता के स्थान पर सुशील शुक्ला दर्ज है ना कि गिरजा शंकर शुक्ला। प्रार्थिनी सविता त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत नोटरी सत्यापित कक्षा–8 की अंकतालिका व श्री शिव सेवक शुक्ला द्वारा प्रार्थिनी के प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों व अन्य साक्ष्यों मे सविता त्रिपाठी (सविता शुक्ला) के पिता का नाम पृथक–पृथक अंकित है। दोनो पक्षों मे सम्पत्ति व चार पहिया वाहन के नामान्तरण म उक्त पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र से अनुचित लाभ लेने की सम्भावना को लेकर विवाद है। उपरोक्तानुसार पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र 2023093005914017 जारी दिनांक 02.11.2023 निरस्त किये जाने हेतु आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

अतः तहसीलदार सदर कानपुर नगर की आख्या दिनांक 04.12.2023 के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या **2023093005914017** **दिनांक 02.11.2023** निरस्त किया जाता है। साथ ही साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि पूर्व मे अन्य स्थानो पर प्रस्तुत किया गया उक्त प्रमाण पत्र को निष्क्रिय समझा जाये।

28/12/23

(प्रखर कुमार सिंह)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/
उपजिलाधिकारी सदर
कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार सदर कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर कुमार सिंह)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/
उपजिलाधिकारी सदर
कानपुर नगर।